

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

हेमन्त कुमार भक्त,
सरकार के उप सचिव (प्र.)।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची।

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)।

सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी सहायक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कनीय अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

तृतीय
स्मार

राँची, दिनांक :-

विषय:-झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली-2001 के नियम-19 में अंकित प्रावधान के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना सं.-9519, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में प्रोन्नति एवं ACP/MACP की स्वीकृति हेतु चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-831 दिनांक 14.03.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) का स्मरण किया जाय। उक्त के आलोक में सम्पत्ति विवरणी अबतक अप्राप्त है।

अतएव अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर जिन अभियंताओं द्वारा अपना सम्पत्ति विवरणी अबतक समर्पित नहीं किया गया है, वे एक सप्ताह के अन्दर अपना सम्पत्ति विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे। संबंधित विवरणी ससमय अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रोन्नति/ACP/MACP पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनु० :-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

1072

राँची, दिनांक :-

05-04-16

प्रतिलिपि : वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

हेमन्त कुमार भक्त,
सरकार के उप सचिव (प्र.)।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची।

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)।

सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी सहायक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कनीय अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

द्वितीय
स्मार

राँची, दिनांक :- 14.03-16

विषय:-झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली-2001 के नियम-19 में अंकित प्रावधान के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना सं.-9519, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में प्रोन्नति एवं ACP/MACP की स्वीकृति हेतु चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-1646 दिनांक 14.05.2015, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची का पत्रांक-2423 दिनांक 16.03.2015, विभागीय पत्रांक-2606, दिनांक -30.07.15 एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची का पत्रांक-935 दिनांक-02.02.16

महाशय,

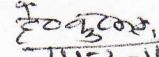
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-2606 दिनांक 30.07.15 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में सभी अभियंताओं से चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित विवरणी अबतक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि पुनः कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची का पत्रांक-935 दिनांक 02.02.16 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेशित है कि भविष्य में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी अगर ससमय अपनी सम्पत्ति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाय।

अतएव अनुरोध है कि जिन अभियंताओं द्वारा अपना सम्पत्ति विवरणी अबतक समर्पित नहीं किया गया है, वे एक सप्ताह के अन्दर अपना सम्पत्ति विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे। संबंधित विवरणी ससमय अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रोन्नति/ACP/MACP पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनु० :-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र.)